सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांक - 21-01-2015
समय - पूर्वाह्ण 11:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- डा॰ पृथ्वीश नाग, कुलपति- अध्यक्ष

2- प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी
3- प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय
4- डा॰ रमेश प्रसाद
5- डा॰ पुष्पा देवी
6- प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह
7- डा॰ परमात्मा दुबे
8- डा॰ राघवेन्द्रजी दूबे,
9- प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
10- डा॰ शैलेश कुमार मिश्र
11- कुलसचिव - सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम :- 10 अध्यापको की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2014 से 27.03.2014 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(8)(क क) के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या ई॰-435/जी॰एस॰, दिनांक 12/13 जनवरी, 2015 के अनुपालन पर विचार।

परिषद् के समक्ष माननीय कुलाधिपति महोदय के अधोलिखित आदेश संख्या ई॰-435/जी॰एस॰, दिनांक 12/13 जनवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया-

संख्या : ई– 435 /जी0एस0 — दिनांक : जनवरी, 12/13, 2015

आदेश

1. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विभिन्न विभागों के निम्नांकित चार्ट में दर्शित कुल दस अध्यापकों की कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा चार्ट में दर्शित तिथियों में सम्पन्न बैठकों में विचार करके अपनी संस्तुतियाँ अलग–अलग कुल दस सीलबन्द लिफाफों में कार्य परिषद के विचारार्थ प्रेषित की गयी थीं :

क्रम संख्या	अध्यापक का नाम	प्रोन्नत पद	विभाग	चयन समिति की तिथि
1.	डॉ0 महेन्द्र पाण्डेय (प्राध्यापक--वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	वेद	25.03.2014
2.	डॉ0 कमलाकान्त त्रिपाठी (प्राध्यापक—वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	पूर्वमीमांसा	26.03.2014
3.	डॉ0 हेतराम कछवाह, उपाचार्य	आचार्य	प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र	26.03.2014
4.	डॉ0 दिनेश गर्ग (प्राध्यापक)	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र	26.03.2014
5.	डॉ0 परमात्मा दुबे (उपाचार्य)	आचार्य	सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग	26.03.2014
6.	डॉ0 ललित कुमार चौबे (प्राध्यापक—वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग	26.03.2014
7.	डॉ0 राघवेन्द्र जी दुबे (प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग	26.03.2014
8.	डॉ0 शशिरानी मिश्रा (प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	पुराणेतिहास	26.03.2014
9.	डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय (प्राध्यापक)	प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	साहित्य	27.03.2014
10.	डॉ0 दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी (प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान)	उपाचार्य	सामाजिक विज्ञान	27.03.2014

2. चयन समिति की उक्त संस्तुतियों के पश्चात वर्तमान लोक सभा की सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित आदर्श निर्वाचन संहिता लागू हो गयी थी । इस सचिवालय के पत्र दिनांक 27.06.2014 के द्वारा तत्कालीन कुलपति, जिनका कार्यकाल तीन माह से कम रह गया था, को नियुक्ति आदि सहित नीतिगत निर्णय लेने से विरत कर दिया गया था । उपरोक्त परिस्थितियों में कार्य परिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों की तिथि से चार माह के अन्दर चयन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय नहीं लिया जा सका ।

3. उक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यकारी कुलपति द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित पत्र दिनांक 24.12.2014 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त अध्यापकों की प्रोन्नति के विषय में चयन समिति की संस्तुतियों पर कुलाधिपति द्वारा लिये जाने वाले निर्णय से कुलपति/कार्य परिषद को अवगत कराया जावे ।

4. जैसा कि उपरोक्त चार्ट में दर्शित है, कार्य परिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों पर चार माह के अन्दर निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप चयन समिति की संस्तुतियाँ

कुलाधिपति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
CHANCELLOR
SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA VARANASI

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAVAN, LUCKNOW

Dated 20

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(8)(क) के परन्तुक के अधीन कुलाधिपति द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु स्वतः सन्दर्भित हो चुकी हैं। परन्तु जैसा कि पूर्व प्रस्तर में अंकित किया जा चुका है कि कार्य परिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों पर चार माह के अन्दर निर्णय उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में नहीं लिया जा सका था न कि कार्य परिषद द्वारा किये गये किसी विलम्ब अथवा त्रुटि के कारण।

5. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त अधिनियम की धारा 31(8)(कक) के अन्तर्गत कुलपति को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर कार्य परिषद की बैठक बुलाकर उपरोक्त दस अध्यापकों की कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियों, जो इस आदेश के साथ सील्ड कवर में सुरक्षित हैं, को कार्य परिषद के समक्ष उसके विचारार्थ व विनिश्चयार्थ प्रस्तुत करें।

ह० -
(राम नाईक)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि : कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव।

कार्यपरिषद् ने माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि अध्यापको के प्रोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की संस्तुतियों को परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

तत् पश्चात् कुलसचिव द्वारा परिषद् के समक्ष अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

1- परिषद् के समक्ष वेद विभाग के प्राध्यापक डा॰ महेन्द्र पाण्डेय की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 25.03.2014
समय - 11.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में वेद विभाग के प्राध्यापक **डॉ० महेन्द्र पाण्डेय** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं037//सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 25.03.2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1.	प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र,	-	कुलपति	- अध्यक्ष
2.	प्रो0 लक्ष्मीश्वर झा	-	विशेषज्ञ	**माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
3.	प्रो0 राजेश्वर मिश्र	-	विशेषज्ञ	
4.	प्रो0 वेदप्रकाश उपाध्याय	-	विशेषज्ञ	
5.	प्रो0 युगलकिशोर मिश्र,	-	विभागाध्यक्ष	
6.	डॉ0 सूर्यकान्त,	-	अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि	
7.	श्री शिवराम	-	अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि	
8.	श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव	-	सचिव	

समिति ने **डॉ0 महेन्द्र पाण्डेय** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

साक्षात्कार से सन्तुष्ट होकर चयनसमिति सर्वसम्मति से डॉ. महेन्द्र पाण्डेय को कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) से उपाचार्य पद पर अर्हता तिथि से प्रोन्नति हेतु संस्तुत करती है।

(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 लक्ष्मीश्वर झा)
विशेषज्ञ

(प्रो0 राजेश्वर मिश्र)
विशेषज्ञ

(प्रो0 वेदप्रकाश उपाध्याय)
विशेषज्ञ

(प्रो0 युगलकिशोर मिश्र)
विभागाध्यक्ष

(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

25/3/14

(शिवराम)
अ0जा0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(ओमप्रकाश)
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ महेन्द्र पाण्डेय प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

2- परिषद् के समक्ष पूर्व मीमांसा विभाग के प्राध्यापक डा॰ कमलाकान्त त्रिपाठी की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 26.03.2014
समय - 10.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विभाग के प्राध्यापक **डॉ0 कमलाकान्त त्रिपाठी** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को पूर्वाह्ण 10.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 लक्ष्मीश्वर झा - विशेषज्ञ
3. प्रो0 राजेश्वर मिश्र - विशेषज्ञ
4. प्रो0 वेदप्रकाश उपाध्याय - विशेषज्ञ
   (2–4: **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**)
5. प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय - विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 कमलाकान्त त्रिपाठी** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

साक्षात्कार से सन्तुष्ट होकर चयन समिति सर्वसम्मति से डा. कमलाकान्त त्रिपाठी को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) से उपाचार्य पद पर उनको अर्हता तिथि से प्रोन्नति करने हेतु संस्तुति करती है।
— वेदप्रकाश उपाध्याय

(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)	(प्रो0 लक्ष्मीश्वर झा)	(प्रो0 राजेश्वर मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष	विशेषज्ञ	विशेषज्ञ
(प्रो0 वेदप्रकाश उपाध्याय)	श्री.प्र. उपाध्याय (प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय)	26/3/2014 (डॉ0 सूर्यकान्त)
विशेषज्ञ	विभागाध्यक्ष	अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि
(शिवराम)		26/03/14 (ओमप्रकाश)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि		कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ कमलाकान्त त्रिपाठी प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

3- परिषद् के समक्ष सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के प्राध्यापक डा॰ ललित कुमार चौबे की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

<u>चयन समिति की बैठक</u>

दिनांक - 26.03.2014
समय - 3.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के अन्तर्गत सांख्ययोग विषय के प्राध्यापक **डॉ0 ललित कुमार चौबे** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को अपराह्ण 3.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 दयानन्द भार्गव - विशेषज्ञ
3. प्रो0 बी0एन0 पंचोली - विशेषज्ञ
4. प्रो0 धनराज शर्मा - विशेषज्ञ

(2–4: **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**)

5. डॉ0 परमात्मा दुबे - विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 ललित कुमार चौबे** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

श्रीमता डॉ० ललितकुमारचौबेमहोदयेन साक्षात्कारे प्रोन्नत्यै उचिता विशिष्टा योग्यतास्मी अर्हता संसाधितेति संस्तूयते उपाचार्यपदाय।

[signature] 26-3-2014

[signature] 26.3.14
(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष

[signature]
(प्रो0 दयानन्द भार्गव)
विशेषज्ञ

[signature]
(प्रो0 बी0एन0 पंचोली)
विशेषज्ञ

[signature] 26/3/14
(प्रो0 धनराज शर्मा)
विशेषज्ञ

[signature] 26/3/14
(डॉ0 परमात्मा दुबे)
विभागाध्यक्ष

[signature] 26/3/2014
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

[signature]
(शिवराम)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

[signature] 26/03
(ओमप्रकाश)
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मति से डा. ललित कुमार चौबे प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

4- परिषद् के समक्ष सामाजिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डा॰ दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 27.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 27.03.2014
समय - 3.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व (इपीग्राफी) विषय के प्राध्यापक **डॉ0 दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 27.03.2014 को अपराह्न 3.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 सुष्मिता पाण्डेय - विशेषज्ञ } माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित
3. प्रो0 एस0पी0 शुक्ल - विशेषज्ञ } माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित
4. प्रो0 किरण चौधरी (उपस्थित न हो सके) - विशेषज्ञ } माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित
5. डॉ0 राजनाथ - विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

साक्षात्कार से संतुष्ट होकर चयन समिति सर्वसम्मति से डॉ० दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर उनकी अर्हता तिथि से प्रोन्नति करने की संस्तुति करती है।

(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र) 27.3.14
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 सुष्मिता पाण्डेय)
विशेषज्ञ 27.3.14

(प्रो0 एस0पी0 शुक्ल) 27.3
विशेषज्ञ

(डॉ0 राजनाथ) 27-3-14
विभागाध्यक्ष

(डॉ0 सूर्यकान्त) 27/3/2014
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(शिवराम)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(ओमप्रकाश) 27/3/14
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

5- परिषद् के समक्ष सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के प्राध्यापक डा॰ राघवेन्द्र जी दुबे की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 26.03.2014
समय - 4.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के अन्तर्गत योगतन्त्र विषय के प्राध्यापक **डॉ0 राघवेन्द्र जी दुबे** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को अपराह्ण 4.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र,	-	कुलपति	- अध्यक्ष
2. प्रो0 दयानन्द भार्गव	-	विशेषज्ञ	**माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
3. प्रो0 बी0एन0 पंचोली	-	विशेषज्ञ	
4. प्रो0 धनराज शर्मा	-	विशेषज्ञ	
5. डॉ0 परमात्मा दुबे	-	विभागाध्यक्ष	
6. डॉ0 सूर्यकान्त,	-	अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि	
7. श्री शिवराम	-	अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि	
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव	-	सचिव	

समिति ने **डॉ0 राघवेन्द्र जी दुबे** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

डॉ॰ राघवेन्द्रदुबे महोदयस्य साक्षात्कारमाध्यमेन निकषोपाचार्यपदार्हता संजायते इति संस्तूयते।

(हस्ताक्षर) 26-3-2014.

(हस्ताक्षर) 26.3.14
(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
(प्रो0 दयानन्द भार्गव)
विशेषज्ञ

(हस्ताक्षर)
(प्रो0 बी0एन0 पंचोली)
विशेषज्ञ

(हस्ताक्षर) 26/3/14
(प्रो0 धनराज शर्मा)
विशेषज्ञ

(हस्ताक्षर) 26/3/14
(डॉ0 परमात्मा दुबे)
विभागाध्यक्ष

(हस्ताक्षर) 26/3/2014
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(हस्ताक्षर) 26.3.14
(शिवराम)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(हस्ताक्षर) 26/03/14
(ओमप्रकाश)
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के क्रम में परिषद् के सदस्य डा॰ राघवेन्द्र जी दूबे परिषद् की बैठक से बाहर चले गये तत् पश्चात् परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ राघवेन्द्र जी दूबे प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

6- परिषद् के समक्ष पुराणतिहास विभाग के प्राध्यापक डा॰ शशिरानी मिश्रा की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 26.03.2014

समय - 1.30 बजे से

स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में पुराणेतिहास विभाग के प्राध्यापक **डॉ0 शशिरानी मिश्रा** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान से उपाचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को अपराह्ण 1.30 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र,	-	कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो0 एन0पी0 उन्नी	-	विशेषज्ञ		**माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
3. प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी	-	विशेषज्ञ		
4. प्रो0 गंगाधर पण्डा	-	विशेषज्ञ		
5. प्रो0 आशुतोष मिश्र	-	संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष		
6. डॉ0 सूर्यकान्त,	-	अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि		
7. श्री शिवराम	-	अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि		
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव	-	सचिव		

समिति ने **डॉ0 शशिरानी मिश्रा** का साक्षात्कार किया और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

साक्षात्कार से सन्तुष्ट होकर चयनसमिति सर्वसम्मति से डॉ॰ शशिरानी मिश्रा की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान से आचार्य पद पर उनकी अर्हता-तिथि से प्रोन्नति करने हेतु संस्तुति करती है।

26/3/14

(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र) 26.3.14
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 एन0पी0 उन्नी)
विशेषज्ञ

(प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी) 26/3/14
विशेषज्ञ

(प्रो0 गंगाधर पण्डा) 26/3/14
विशेषज्ञ

(प्रो0 आशुतोष मिश्र) 26.3.14
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

(डॉ0 सूर्यकान्त) 26/3/2014
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(शिवराम) 26.3.14
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(ओमप्रकाश) 26/03/14
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के क्रम में परिषद् ने यह पाया कि चयन समिति की संस्तुति में आचार्य पद पर प्रोन्नति की संस्तुति की गयी है जो मानवीय भूल प्रतीत होती है अतः इसे नियमानुसार उपाचार्य ही माना जाये तत् पश्चात् परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ शशिरानी मिश्रा प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

7- परिषद् के समक्ष प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के उपाचार्य डा॰ हेतराम कछवाह की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 26.03.2014
समय - 12.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के उपाचार्य **डॉ० हेतराम कछवाह** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को मध्यान्ह 12.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 एन0पी0 उन्नी - विशेषज्ञ } **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
3. प्रो0 प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी - विशेषज्ञ } **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
4. प्रो0 गंगाधर पण्डा - विशेषज्ञ } **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
5. प्रो0 आशुतोष मिश्र - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. **श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव** - सचिव

समिति ने **डॉ0 हेतराम कछवाह** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र के सम्बन्ध में तीन विद्वान विशेषज्ञों के मूल्यांकन आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

> साक्षात्कार से सन्तुष्ट होकर चयन समिति सर्व सम्मति से डॉ॰ हेतराम कछवाह की कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर उनकी अर्हता तिथि से प्रोन्नति करने हेतु संस्तुति करती है। 26/3/14

(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र) 26/3/14
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 एन0पी0 उन्नी)
विशेषज्ञ

(प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी) 26/3/14
विशेषज्ञ

(प्रो0 गंगाधर पण्डा) 26/3/14
विशेषज्ञ

(प्रो0 आशुतोष मिश्र)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

(डॉ0 सूर्यकान्त) 26/3/2014
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(शिवराम) 26.3.14
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(ओमप्रकाश) 26/03/14
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मति से डा॰ हेतराम कछवाह उपाचार्य को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत आचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

8- परिषद् के समक्ष सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के उपाचार्य डा॰ परमात्मा दुबे की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

चयन समिति की बैठक

दिनांक - 26.03.2014
समय - 5.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग के अन्तर्गत योगतन्त्र विषय के उपाचार्य **डॉ0 परमात्मा दुबे** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को अपराह्ण 5.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 दयानन्द भार्गव - विशेषज्ञ ⎫
3. प्रो0 बी0एन0 पंचोली - विशेषज्ञ ⎬ **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
4. प्रो0 धनराज शर्मा - विशेषज्ञ ⎭
5. प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ0 परमात्मा दुबे** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र के सम्बन्ध में तीन विद्वान विशेषज्ञों के मूल्यांकन आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

> अर्हतातिथितः डॉ॰ परमात्मदुबे महोदयः प्रोन्नत्यै आचार्यपदार्थं संस्तुतः अस्माभिः
>
> 26-3-2014

26.3.14
(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 दयानन्द भार्गव)
विशेषज्ञ

(प्रो0 बी0एन0 पंचोली)
विशेषज्ञ

26/3/14
(प्रो0 धनराज शर्मा)
विशेषज्ञ

26.03.2014
(प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

26/3/2014
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

26.3.14
(शिवराम)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

26/03/14
(ओमप्रकाश)
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के क्रम में परिषद् के सदस्य डा॰ परमात्मा दुबे उपाचार्य परिषद् की बैठक से बाहर चले गये तत् पश्चात् परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा॰ परमात्मा दुबे उपाचार्य को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत आचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

9- परिषद् के समक्ष प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डा॰ दिनेश गर्ग की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक से प्राध्यापक का वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 26.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

"स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक"

दिनांक - 26.03.2014
समय - 11.00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक **डॉ0 दिनेश गर्ग** को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक पद पर वरिष्ट वेतनमान अनुमन्य करने हेतु (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 26.03.2014 को पूर्वाह्ण 11.00 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए -

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0एन0पी0उन्नी - विशेषज्ञ } **माननीय कुलाधिपति**
3. प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी - विशेषज्ञ } **द्वारा नामित**
4. प्रो0 आशुतोष मिश्र - संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
5. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
6. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
7. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

स्क्रीनिंग कमेटी ने **डॉ0 दिनेश गर्ग** के कार्यों का मूल्यांकनोपरान्त साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया तत्पश्चात उनका साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

डॉ. दिनेश गर्ग को अर्हता तिथि से उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्राध्यापक पद पर वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करने की संस्तुति सर्वसम्मति से की जाती है।
26/3/14

6.3.14
(प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र)
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो0 एन0पी0 उन्नी)
विशेषज्ञ

26/3/14
(प्रो0 वाचस्पति त्रिपाठी)
विशेषज्ञ

आशुतोष मिश्र 26.3.14
(प्रो0 आशुतोष मिश्र)
संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

26/3/2014
(डॉ0 सूर्यकान्त)
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

26-3.14
(शिवराम)
अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

26/03/14
(ओमप्रकाश)
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मत्ति से डा. दिनेश गर्ग, प्राध्यापक को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक का वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

10- परिषद् के समक्ष साहित्य विभाग के प्राध्यापक डा॰ विजय कुमार पाण्डेय की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक से प्राध्यापक का वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करने के लिये स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 27.03.2014 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

दिनांक - 27.03.2014
समय - 12.30 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग के प्राध्यापक **डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय** को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राध्यापक पद पर वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करने हेतु (शासनादेश सं0377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 27.03.2014 को मध्यान्ह 12.30 बजे से कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो0 रमेश कुमार पाण्डेय - विशेषज्ञ } माननीय कुलाधिपति
3. प्रो0 मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी - विशेषज्ञ } द्वारा नामित
4. प्रो0 आशुतोष मिश्र - संकायाध्यक्ष
5. डॉ0 प्रभु सिंह यादव - विभागाध्यक्ष
6. डॉ0 सूर्यकान्त, - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. श्री शिवराम - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री ओमप्रकाश, कुलसचिव - सचिव

स्क्रीनिंग कमेटी ने **डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय** के कार्यों का मूल्यांकनोपरान्त साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया तत्पश्चात उनका साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

सभी प्रश्नों का समुचित समाधान डॉ. विजय कुमार पाण्डेय जी ने प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप इन्हें अर्हता तिथि से कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।
[signature] रमेश कुमार पाण्डेय

[signature] 27.3.14 (प्रो0 बिन्दा प्रसाद मिश्र) कुलपति, अध्यक्ष

रमेश कुमार पाण्डेय (प्रो0 रमेश कुमार पाण्डेय) विशेषज्ञ

[signature] 27.3.14 (प्रो0 मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी) विशेषज्ञ

आशुतोष मिश्र 27.3.14 (प्रो0 आशुतोष मिश्र) संकायाध्यक्ष

[signature] (डॉ0 प्रभु सिंह यादव) विभागाध्यक्ष

[signature] 27/3/2014 (डॉ0 सूर्यकान्त) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

[signature] (शिवराम) अनु0 जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

[signature] 27/03/14 (ओमप्रकाश) कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्व सम्मति से डा॰ विजय कुमार पाण्डेय, प्राध्यापक को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अर्न्तगत प्राध्यापक का वरिष्ठ वेतनमान अनुमन्य करते हुए शासनादेश एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अर्हता तिथि से पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार :-

1- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी को पूर्व की भाति मूल संस्था सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में संकाय के रूप में प्रात्यावर्तित करने के सम्बन्ध में राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उ॰प्र॰ के प्रत्यावेदन दिनांक 07.01.2015 पर विचार।

परिषद् के समक्ष राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उ॰प्र॰ के अधोलिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

(उ० प्र० शासनादेश संख्या 8658/एक सेक० 9/पाँच दिनांक 07.12.1981 द्वारा मान्यता प्राप्त)

शाखा–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुर्वेद संकाय

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी – 22002

E-mail:ratavns1@gmail.com

VC-61/15
8-1-15

संरक्षक
पदेन प्राचार्य/अधीक्षक
रा.आ.महा. वि. एवं चि.
वाराणसी

अध्यक्ष
डा. समीर कुमार राठौर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
डा. पी.एल.शंखुआ

उपाध्यक्ष
डा. अनुभा श्रीवास्तव

महामंत्री
डा. अश्विनी कुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष
डा. महेश नारायण गुप्त

केन्द्रिय प्रतिनिधि
डा. के.के. द्विवेदी
डा. मनोहर राम
डा. सुशील कुमार दूबे
डा. विजय कुमार राय
डा. प्रकाश राज सिंह
डा. कमालुद्दीन

आय-व्यय निरीक्षक
डा. रमेश कुमार गुप्ता
डा. मनीष मिश्रा

पत्रांक 2867/2015-251 दिनांक 07.01.2015

सेवा में,
माननीय कुलपति महोदय,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

विषय : राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी को उसकी मूल संस्था सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रत्यावर्तित करने के संदर्भ में।

महोदय,

निवेदन है कि आयुर्वेद शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में 8 अगस्त, 1965 को आयुर्वेद विभाग की स्थापना कर आयुर्वेद का शिक्षण, प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। परन्तु 2 मार्च, 1972 को इसे विश्वविद्यालय से पृथक कर दिया गया तथा 2 जुलाई, 1982 को पूर्ण रूपेण प्रान्तीकृत कर दिया गया।

यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय का ही संकाय है तथा इसके परीक्षा आदि का कार्य विश्वविद्यालय के अधीन है।

प्रान्तीकृत होने के पश्चात् इस महाविद्यालय का विकास अवरूद्ध हो गया है जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग की स्थापना के मूल भावनाओं की उपेक्षा है। आज भी यहाँ के सबसे अधिक छात्र एवं छात्राएँ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं। देश–विदेश में अनेक उच्च पदों पर विद्यमान हैं तथा इस विश्वविद्यालय का नाम देदीप्यमान कर रहे हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि इस महाविद्यालय के अलग हो जाने के बाद केवल स्नातक स्तर का विद्यालय ही

राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

(उ० प्र० शासनादेश संख्या 8658/एक सेक० 9/पाँच दिनांक 07.12.1981 द्वारा मान्यता प्राप्त)

शाखा–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

आयुर्वेद संकाय

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी – 22002

E-mail:ratavns1@gmail.com

संरक्षक
पदेन प्राचार्य/अधीक्षक
रा.आ.महा. वि. एवं चि.
वाराणसी

अध्यक्ष
डा. समीर कुमार राठौर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
डा. पी.एल.शंखुआ

उपाध्यक्ष
डा. अनुभा श्रीवास्तव

महामंत्री
डा. अश्विनी कुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष
डा. महेश नारायण गुप्त

केन्द्रिय प्रतिनिधि
डा. के.के. द्विवेदी
डा. मनोहर राम
डा. सुशील कुमार दूबे
डा. विजय कुमार राय
डा. प्रकाश राज सिंह
डा. कमालुद्दीन

आय-व्यय निरीक्षक
डा. रमेश कुमार गुप्ता
डा. मनीष मिश्रा

पत्रांक .... दिनांक ....

रह गया है, जबकि संस्था का विकास स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध संस्था के रूप में परिवर्तित होने पर ही हो पाता।

यह महाविद्यालय यदि विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रत्यावर्तित हो जाता तो विश्वविद्यालय को भी देश–विदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति, शिक्षक, शोधकर्ता, चिकित्सक देने का गौरव प्राप्त होगा। साथ ही चिकित्सा के विभिन्न आयुर्वेदीय आयामों को यथा पंचकर्म, अनुशस्त्र कर्म, क्रियाकल्प, शिरोवस्ति, क्षारसूत्र आदि को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। जबकि प्रत्यावर्तित होने पर विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा। अपितु विश्वविद्यालय का एक मात्र तकनीकी संस्थान होने पर आर्थिक स्रोत के बढ़ोत्तरी में जैसे अप्रवासी छात्रों का प्रवेश, औषधि निर्माण एवं विक्रय, पंचकर्म, चिकित्सालय एवम् विकृति विज्ञानीय प्रयोगशाला आदि माध्यमों से सहायक होगा। इसके अतिरिक्त भूमि, भवन, छात्रावास आदि के लिए भी विश्वविद्यालय के ऊपर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से विभिन्न पत्रों के माध्यम से पहले भी कई बार अनुरोध किया जा चुका है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय को आगामी कार्यपरिषद में रखते हुए इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में प्रत्यावर्तित करने की कृपा करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
महामंत्री

राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

(उ० प्र० शासनादेश संख्या 8658/एक सेक० 9/पाँच दिनांक 07.12.1981 द्वारा मान्यता प्राप्त)
शाखा–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
आयुर्वेद संकाय
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी – 22002
E-mail:ratavns1@gmail.com

संरक्षक
पदेन प्राचार्य/अधीक्षक
रा.आ.महा. वि. एवं चि.
वाराणसी

अध्यक्ष
डा. समीर कुमार राठौर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
डा. पी.एल.शंखुआ

उपाध्यक्ष
डा. अनुभा श्रीवास्तव

महामंत्री
डा. अश्विनी कुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष
डा. महेश नारायण गुप्त

केन्द्रिय प्रतिनिधि
डा. के.के. द्विवेदी
डा. मनोहर राम
डा. सुशील कुमार दूबे
डा. विजय कुमार राय
डा. प्रकाश राज सिंह
डा. कमालुद्दीन

आय-व्यय निरीक्षक
डा. रमेश कुमार गुप्ता
डा. मनीष मिश्रा

पत्रांक .... दिनांक ....

सेवा में,
माननीय कुलपति महोदय,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

मान्यवर,

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से प्रत्यावर्तित करने से विश्वविद्यालय को निम्नलिखित आर्थिक लाभ होंगे–

1. अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) कोटे में 10 छात्रों के प्रवेश से कम से कम 1 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष।
2. आयुर्वेदीय फार्मेसी में निर्मित औषधियों के विक्रय से आर्थिक लाभ लगभग 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष।
3. पंचकर्म केन्द्र द्वारा लगभग 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष।
4. पैथोलॉजी सेन्टर से रक्त, मलमूत्र, ई०सी०जी०, ई०ई०जी०, अल्ट्रासाउण्ड आदि के माध्यम से लगभग 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष।
5. विभिन्न सशुल्क सर्जरी आदि से 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष।
6. अंतरंग और बहिरंग रोगियों के पंजीकरण शुल्क से लगभग 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष।

द्रष्टव्य है कि उपरोक्त आर्थिक लाभ पर पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय का अधिकार रहेगा। शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन आदि की व्यवस्था के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय का सम्पूर्ण बजट विश्वविद्यालय को उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होगा। साथ ही यू०जी०सी० एवं केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट एवं विकास के लिए भी धन प्राप्त हो सकेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रत्यावर्तन होता है तो विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा।

भवदीय
[signature]
महामंत्री

राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश

(उ० प्र० शासनादेश संख्या 8658/एक सेक० 9/पाँच दिनांक 07.12.1981 द्वारा मान्यता प्राप्त)
शाखा–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
आयुर्वेद संकाय
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी – 22002
E-mail:ratavns1@gmail.com

संरक्षक
पदेन प्राचार्य/अधीक्षक
रा.आ.महा. वि. एवं चि.
वाराणसी

अध्यक्ष
डा. समीर कुमार राठौर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
डा. पी.एल.शंखुआ

उपाध्यक्ष
डा. अनुभा श्रीवास्तव

महामंत्री
डा. अश्विनी कुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष
डा. महेश नारायण गुप्त

केन्द्रिय प्रतिनिधि
डा. के.के. द्विवेदी
डा. मनोहर राम
डा. सुशील कुमार दूबे
डा. विजय कुमार राय
डा. प्रकाश राज सिंह
डा. कमालुद्दीन

आय-व्यय निरीक्षक
डा. रमेश कुमार गुप्ता
डा. मनीष मिश्रा

VC-112/15
17-1-15

पत्रांक 2871/2015-255 दिनांक 17-01-2015

To be placed in the EC Meeting of 21-1-15. 17/1

सेवा में,
माननीय कुलपति जी,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी,उत्तर प्रदेश।

विषयः राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,वाराणसी को पूर्व की भाँति मूल संस्था सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संकाय के रूप में प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा दिनांक–17.04.2006 को राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,वाराणसी जो दिनांक–02.07.1982 से पूर्व विश्वविद्यालय का अंग था एवं पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के अधीन था को पुनः विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के रूप में प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया जा चुका है (निर्णय की छाया प्रति संलग्न–1)जिसकी सम्पुष्टि दिनांक–29.06.2006 को विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा की जा चुकी है(छाया प्रति संलग्नक–2) के फलस्वरूप कुलसचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी के पत्र संख्या सा 2987/06 दिनांक–05.06.2006 द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा, सचिवालय लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है,परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई वांछित कार्यवाही संज्ञान में नहीं आयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेद,ज्योतिष एवं संस्कृत विषय के उत्थान एवं समग्र विकास के लिये पुनः अपने स्तर से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,वाराणसी को पूर्व की भाँति मूल संस्था सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संकाय के रूप में प्रत्यावर्तित करवाने का कष्ट करें, जिससे हम सभी शिक्षकगण पुनः पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके एवं इस महाविद्यालय की पूर्व की गरिमा वापस हो सके।

संलग्नक–यथोक्त,

भवदीय

[signature] [signature]

(डा०समीर कुमार राठौर)
अध्यक्ष

(डा० अश्विनी कुमार गुप्ता)
महामंत्री

उपर्युक्त के सन्दर्भ में परिषद् को यह अवगत कराया गया कि उक्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के संकाय के रूप में मान्य कराने के लिये पूर्व में दिनांक 17.04.2006 को कार्यपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में उ.प्र. शासन को महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रेषित करते हुए उसे विश्वविद्यालय परिसर का संकाय मान्य करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया जाये और उक्त के निमित्त समस्त प्रपत्र, अध्यादेश आदि तैयार करके शासन को प्रेषित किया जाये।

2- छात्रसंघ कोष की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में

परिषद् ने छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री के द्वारा छात्रसंघ कोष में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय किया कि यह प्रकरण सर्वप्रथम वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अतः वित्त समिति को सन्दर्भित किया जाये।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

उपकुलसचिव (प्रशा.)/कुलसचिव
कृ. अनुमोदनार्थ
21/1/15
21.01.15
DR(A)
कुलपति जी
कार्यवृत्त पृष्ठ सं.-1 से 14 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
21/1/2015

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

अनुमोदित।
21-1-2015